कार्यालय,जनपद न्यायाधीश,रामपुर।

आदेश

दिनांक: मई 20, 2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा पत्रांक-1108/LXXXVII-CPC/eCourts/ Allahabad/Dated May 20,2020 के माध्यम से, लॉकडाउन अवधि एवं उसके पश्चात् की अवधि में विभिन्न रेड, ओरेन्ज एवं ग्रीन जोन में जिला न्यायालयों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जो दिनांक 22-05-2020 से अग्रिम आदेश तक के लिए प्रभावी किये गये है।

माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के उपरोक्त दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट,रामपुर की आख्यानुसार जनपद रामपुर को रेड जोन में रखा गया है। अतैव माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के आलोक में जनपद न्यायालय रामपुर पर रेड जोन से सम्बन्धित दिशा-निर्देश लागू होते है।

अतैव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद रामपुर में निम्नलिखित न्यायालय संचालित होगें-

1- न्यायालय सत्र न्यायाधीश,रामपुर।

2- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,न्याय कक्ष संख्या-3,रामपुर।

3- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1(एस०सी०एस०टी०एक्ट)

4- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4(ई०सी०एक्ट)

5- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-8(पॉक्सो एक्ट)

6- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10(गैंगेस्टर एक्ट)

7- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(महिलाओं के विरुद्ध अपराध, एम.पी./एम.एल.ए.)

8- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(एन०डी०पी०एस० एक्ट)

9- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,रामपुर।

उपरोक्त न्यायालयों में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निम्नलिखित वादों/प्रार्थना पत्रों पर ही विचार किया जायेगा-

1- लम्बित/नवीन जमानत प्रार्थना पत्र

2- लम्बित/नवीन अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

3- विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित न्यायिक कार्य/रिमाण्ड,वीडियो क्रान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा,यदि कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होगी,तो अन्य विकल्प के माध्यम से उक्त कार्य सम्पादित किया जायेगा।

4- लम्बित आदेश/निर्णय,यदि कोई हो,जिनमें पूर्व में ही बहस सुनी जा चुकी है,पारित किये जायेंगे।

5- धारा 173 Cr.P.C. के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति एवं निस्तारण से सम्बन्धित प्रकरण।

Scanned with CamScanner

6- धारा-164 Cr.P.C. के बयान, गैर जमानती वारन्ट व धारा- 82/83, Cr.P.C.की आदेशिकाओं से सम्बन्धित विवेचनाधिकारी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण

7- कार्यालय से सम्बन्धित अन्य लम्बित कार्य।

8- अन्य प्रशासनिक कार्य जनपद न्यायाधीश के विवेकानुसार।

उपरोक्त समस्त न्यायालयों में केवल 10% कर्मचारीगण के सहयोग से न्यायिक कार्य सम्पादित किया जायेगा। सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगण इस निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित कर्मचारी Time Slot के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होंगें।

न्यायालय परिसर में उपस्थित होने वाले न्यायिक अधिकारीगण,कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर के गेट पर उपस्थित पैरा-मेडिकल स्टाफ द्वारा थर्मल स्कैनिंग के पश्चात् ही प्रवेश की अनुमति होगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है अथवा पैरा-मेडिकल स्टाफ,पुलिस कर्मी या इस कार्य में सहयोग हेतु उपस्थित किसी कर्मचारी से कोई दुर्व्यवहार करता है,तो इसका संज्ञान लेकर अविलम्ब प्रशासन को आवश्यक कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

न्यायालय कार्यवाही के दौरान पुरूष अधिवक्ता सफेद शर्ट व हल्के रंग की पैन्ट एवं महिला अधिवक्ता शालीन वस्त्र बैण्ड सहित धारण करेंगे। न्यायिक अधिकारीगण के लिए कोट व गाउन पहनना अनिवार्य नहीं होगा।

अधिवक्तागण जमानत व अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र,आवश्यक प्रकृति प्रार्थना पत्र तथा लिखित बहस **dcrampur11@gmail.com** पर दाखिल कर सकेंगे । ई-मेल पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र को CIS में पंजीकृत किया जायेगा तथा सभी प्रार्थना पत्रों में अधिवक्ता एवं वाद कारियों का पूर्ण विवरण के साथ-साथ उनका मोबाइल नम्बर भी अंकित होगा। किसी प्रकार की त्रुटि के सन्दर्भ में सम्बन्धित को उसी दिन सूचित किया जायेगा। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र/ अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों की प्रति अभियोजन/ जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को प्रदान की जायेगी और नियमानुसार अभियोजन को जबाव दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया जायेगा। केवल त्रुटिरहित प्रार्थना पत्रों को ही 48 घण्टे अथवा नियमानुसार प्रदत्त समय में कॉजलिस्ट (CIS Generated) में नियत किया जायेगा। केवल आवश्यक प्रकृति के प्रार्थना पत्रों को ही CIS कॉजलिस्ट में नियत किया जायेगा। शेष प्रकरणों में सामान्य तिथि नियत की जायेगी। प्रकरण से सम्बन्धित किसी प्रकार की जानकारी **Help Line No.0595-2352116** पर प्राप्त की जा सकती है। श्री इसफार कमर वरिष्ठ सहायक उक्त कार्य सम्पादित करेंगे।

प्रतिदिन प्रस्तुत जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर उसी दिन सुनवाई नहीं होगी,बल्कि उस दिन अग्रिम तिथि नियत की जायेगी,जो सम्बन्धित अधिवक्ता/वादकारी को उसके द्वारा प्रस्तुत मोबाइल नम्बर पर सूचना दी जायेगी तथा सुनवाई हेतु नियत तिथि CIS में अपलोड भी होगी।

सम्बन्धित संचालित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय के कर्मचारी को आदेशित करेंगे कि प्रतिदिन प्रस्तुत जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों को नियत Time Slot से आधा घण्टा पूर्व कम्प्यूटर विभाग से प्राप्त

Scanned with CamScanner

करें तथा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त Time Slot के एक घण्टे में CIS में पारित आदेश/अग्रिम तिथि अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सम्बन्धित न्यायालय के कर्मचारी को आदेशित किया जाता है कि वह Time Slot के अनुसार सुनवाई हेतु नियत प्रार्थना पत्रों का विवरण एक दिन पूर्व कम्प्यूटर अनुभाग में CIS में अपलोड करने हेतु उपलब्ध करा देंगे,ताकि समस्त सम्बन्धित अधिवक्तागण को समय से सूचना दी जा सके

न्यायालय परिसर में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप 8 कक्षीय भवन में स्थित सभागार में वर्चुअल कोर्ट रूम की स्थापना की गयी है। उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त प्रकार के न्यायिक कार्य के सम्पादन हेतु अपने न्यायालय/विश्राम कक्ष में निर्धारित विकल्प का प्रयोग व्यक्तिगत लैपटाप के माध्यम jitsi(LAN) से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। केन्द्रीय नाजिर प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातःकाल यह सुनिश्चित करें कि वर्चुअल कोर्ट रूम में सैनिटाइजर उपलब्ध है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर में केवल उसी अधिवक्ता को प्रवेश की अनुमति होगी,जिनका वाद CIS कॉजलिस्ट में नियत होगा। किसी भी वादकारी या उसके प्रतिनिधि को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अधिवक्ता नियत तिथि व दिये गये समय (Time Slot) पर वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित होंगे,जो बहस समाप्त हो जाने के उपरान्त न्यायालय परिसर खाली कर देंगे। इस सन्दर्भ में अधिवक्तागण समस्त पीठासीन अधिकारीगण के साथ सामंजस्य बनाये रखेंगे।

ओथ कमीश्नर्स, स्टाम्प वेन्डर्स एवं टाइपिस्ट का प्रवेश सीमित संख्या में होगा।

जनपद न्यायालय,रामपुर में प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु निम्नलिखित न्यायालयों के लिए निम्न Time Slot नियत किये जाते है-

न्यायालय का नाम	समय
न्यायालय सत्र न्यायाधीश/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-3,रामपुर।	11.00 a.m. to 11.30a.m.
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1(एस०सी० एस०टी० एक्ट)	10.30 a.m. to 11.00a.m.
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4(ई०सी०एक्ट)	10.00 a.m. to 10.30a.m.
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-8(पॉक्सो एक्ट)	11.30 a.m. to 12.00a.m.
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं.10(गैंगेस्टर एक्ट).	12.00 a.m. to 12.30 a.m.
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(महिलाओं के विरूद्ध अपराध , एम.पी./ एम.एल.ए.),रामपुर।	2.00 p.m. to 3.00 p.m.
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-2 (एन०डी०पी०एस० एक्ट)	12.30 p.m. to 1.00p.m
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,रामपुर।	1.00 p.m. to 2.00 p.m.

Scanned with CamScanner

उपरोक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह कृत कार्य/निस्तारित प्रार्थना पत्रों की संख्या को प्रत्येक कार्य दिवस को अपराह्न 4.00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में उपलब्ध काराना सुनिश्चित करेंगे,जिससे वांछित सूचना माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद को निर्धारित समयावधि में प्रेषित की जा सके तथा समस्त आदेश/ निर्णय उसी दिन अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

केन्द्रीय नाजिर को आदेशित किया जाता है कि वह आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले समस्त अधिकारीगण/ कर्मचारीगण/अधिवक्तागण मास्क आवश्यक रूप से पहनना एवं शासन द्वारा निर्गत सोशल डिस्टेन्सिंग के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

सिस्टम ऑफिसर इस आदेश को जनपद न्यायालय,रामपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,रामपुर को आदेशित किया जाता है कि वह पैरा लीगल वालिन्टियर्स का सहयोग न्यायालय संचालन में लेना सुनिश्चित करें तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालयों के संचालन की उपरोक्त व्यवस्था को स्थानीय अधिकृत मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

जनपद न्यायाधीश,
रामपुर।
21-05-2020

DLSA-
CJM

Scanned with CamScanner